प्रथम पत्रक

कार्यालय अंचल अधिकारी, जरीडीह

अनुसूची 14 – फारम सं0 562

अभिलेख संख्या ......19/24-25.....

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक – ता0 .... से .... तक

जिला – बोकारो

केस का प्रकार :– विविधि वाद (ऑनलाईन जमाबंदी सृजन)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
15.07.2024	आवेदक मो0 खाजा गुलाम अंसारी पिता हाजी सहबान अंसारी साकिन बहुदरपुर, थाना– जरीडीह, जिला– बोकारो के द्वारा अपने भूमि मौजा– बहादुरपुर, थाना सं0 – 78 के खाता– 05, प्लॉट– 327 एवं 328, कुल रकबा– 08.75 डी0 भूमि का ऑनलाईन पंजी II में जमाबंदी दर्ज करने हेतु आवेदन समर्पित कर अनुरोध किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक / अंचल निरीक्षक / अंचल अमीन से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक– 08.08.2024 को उपस्थापित करें। 15/07/24 अंचल अधिकारी जरीडीह	
08.08.2024	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि बकास्त खाता की है। मौजा बहादुरपुर के जमाबंदी सं0– 196 / VI पर खाता नं0– 05, रकवा– 8.75 डी0 भूमि की जमाबंदी खाजा गुलाम अंसारी के नाम से दर्ज है। वर्णित जमाबंदी को ऑनलाईन किया जा सकता है तथा अंचल अमीन के जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि खाता– 05, प्लॉट– 327 एवं 328, कुल रकबा– 08.75 डी0 का भौतिक सत्यापन करने स्थल पर गया। स्थल पर वर्त्तमान में परती टांड़ के रूप में अवस्थित है। जांच के क्रम में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग करे कि जमाबंदी से दोहरा जमाबंदी खतियानी रकवा से अधिक की जमाबंदी होगी अथवा नहीं तथा आपत्ति हेतु आम ईस्तहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक– 14.12.2024 को उपस्थापित करें। 08/08/24 अंचल अधिकारी जरीडीह	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	ता
1	2	3
14.12.2024	अभिलेख उपस्थापित। आम ईस्तहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि आवेदक मो0 खाजा गुलाम अंसारी पिता हाजी सहबान अंसारी साकिन बहुदरपुर, थाना– जरीडीह, जिला– बोकारो के द्वारा अपने भूमि मौजा– बहादुरपुर, थाना सं0 – 78 के खाता– 05, प्लॉट– 327 रकवा– 06 डी0 एवं 328 रकवा– 02.75 डी0 कुल रकवा 08.75 डी0 भूमि बकास्त खाते की भूमि है। आवेदक को भूमि केवाला सं0– 3349, दिनांक– 18.06.2002 के द्वारा खरीदगी हासिल है। जिसका नामांतरण वाद संख्या 418/ स्वीकृत होकर लगान रसीद मो0 खाजा गुलाम अंसारी पिता हाजी सहबान अंसारी के नाम निर्गत हो रहा है, जो भौतिक पंजी 2 के भाग 06 पृष्ठ सं0 196 में दर्ज है, तथा लगान रसीद, भौतिक पंजी 2 से मिलान किया जो सही पाया, परन्तु भौतिक पंजी 2 के आलोक में ऑनलाईन पंजी 2 में जमाबंदी दर्ज नहीं होने के कारण लगान रसीद निर्गत नहीं हो रहा है, जिससे राजस्व की हानि हो रही है। उक्त के आलोक में आवेदक के नाम से मौजा– बहादुरपुर, थाना सं0 – 78 के खाता– 05, प्लॉट– 327 रकवा– 06 डी0 एवं 328 रकवा– 02.75 डी0 कुल रकवा 08.75 डी0 की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी II में दर्ज किया जा सकता है। उपरोक्त जमाबंदी से दोहरा जमाबंदी खतियानी रकवा से अधिक की जमाबंदी नहीं होगी। अतः राजस्व निबंधन भूमि सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेष ज्ञापांक– 1857 दिनांक– 29.07.2020 में दिए गये दिषा निर्देष तथा राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन, भौतिक पंजी II आवेदक द्वारा समर्पित कागजात एवं राजस्व हित में उक्त भूमि के जमाबंदी का सृजन '' मो0 खाजा गुलाम अंसारी पिता हाजी सहबान अंसारी साकिन बहुदरपुर, थाना– जरीडीह, जिला– बोकारो'' के नाम से ऑनलाईन पंजी II में प्रविष्टि करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं शुद्धित अंचल अधिकारी जरीडीह। अंचल अधिकारी जरीडीह।	

Digitally signed by PRANAV RITURAJ
Date: 2025.05.09 13:02:04 +05:30
Location: 192.168.1.10